संख्या– 695 43/2–2007

प्रेषक,

शंभु नाथ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 24 अप्रैल, 2007

विषय–जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनाम से नामित किया जाना

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–775/43–2–2006 दिनांक 16.06.2006 द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव से यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक विभाग एवं उस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/संस्थाओं/बोर्ड्स/आयोगों अर्थात् प्रत्येक लोक प्राधिकारी केस्तर पर नामित किये गये जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों की पूरे विभाग की संकलित सूचना/विवरण की सी0डी0 (हार्ड कापी सहित) प्रशासनिक सुधार विभाग को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।।

2. व्यवहार में यह अनुभव किया जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5(1) के अन्तर्गत नाम से जन सूचना अधिकारी एवं धारा–19(1) के अंतर्गत नाम से प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की दशा में उक्त अधिकारियों की पूरे प्रदेश की संकलित सूची/विवरण तैयार हो पाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय समय पर अधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप संकलित सूची अद्यावधिक नहीं हो पाती।

3. सम्यक विचारोपरांत यह भी पाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जन सूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों, व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को नाम से नामित किया जाना आवश्यक नहीं है जैसा कि कतिपय अन्य राज्यों में भी ऐसा किया गया है। अतः उपरोक्त स्थिति में शासन द्वारा अब यह निर्णय

लिया गया है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा नाम से जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी नामित न कर पदनाम से नामित किया जाय ताकि संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण से यह स्थिति प्रभावित न हो।

4. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीन सभी लोक प्राधिकरणों में अपने विवेकानुसार उचित स्तर के अधिकारियों को उनके पदनाम से जन सूचनाधिकारी, सहायक जन सूचनाधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए संलग्न प्रारूप में उनका विवरण अपनी विभागीय वेबसाइट तथा up. nic.in बेबसाइट पर एन0आई0सी0 के संबंधित अधिकारी की सहायता से अपलोड कर उसकी सी.डी. प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

संलग्नक– प्रारूप

भवदीय,

(शंभु नाथ)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उ0प्र. राज्य सूचना आयोग, 6ठवॉं तल, इंदिरा भवन, लखनऊ।
2. श्री एस0के0 त्रिपाठी, सूचना का अधिकार अधिनियम को–आर्डिनेटर एन.आई.सी., 9 फ्लोर, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ। फोन नं0–2237600 / सी.एच. 4586 एक्सटेंशन 2238001

आज्ञा से,

(वी0के0 मिश्र)
उप सचिव

प्रपत्र

विभाग का नामः–

कमांक	लोक प्राधिकरण अर्थात शासन के विभाग / निदेशालय / अधीनस्थ कार्यालय / निगम / उपकम / संस्था / बोर्ड / आयोग आदि का नाम	जन सूचनाधिकारी / सहायक जन सूचनाधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय